

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी- श्री ओमप्रकाश बिश्नोई, आर.ए.एस.

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 05/2016

सायल

बनाम

गैरसायल

जिला पुलिस अधीक्षक,
बाड़मेर

प्रतापसिंह उर्फ प्रकाशसिंह पुत्र
नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत
निवासी मोहनजी का केशर,
बाड़मेर, पुलिस थाना जिला
बाड़मेर

परिवाद अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975

- उपस्थित:- 1. श्री अभियोजन अधिकारी सायल की ओर से।
2. श्री भगवतसिंह राठौड़, अधिवक्ता गैर सायल की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 06.04.2021



सायल की ओर से दिनांक 31.05.2016 को गैर सायल प्रतापसिंह उर्फ प्रकाशसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मोहनजी का केशर, बाड़मेर, पुलिस थाना जिला बाड़मेर के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2/3 के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैर सायल बदमाश व जुआरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है इसकी आपराधिक गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिस पर अंकुश लगाना निहायत ही जरूरी है। यह शक्स ताश के पत्तों पर रूपये दांव पर लगाकर जुए खेलता है जिसमें एक को लाभ व अन्य को हानि होने से आपस में प्रायः मारपीट व झगड़े होते रहते हैं जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त होता है। ऐसे बदमाश व समाज कंटक का समाज में रहने से और भी नये लड़के इसकी संगत में आकर अपराध कर सकते हैं। ऐसे गुण्डा तत्व को जिले से बेदखल करना निहायत ही आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति इस बदमाश का विरोध करता है, तो यह बदमाश अपने सहयोगियों की सहायता से उसको धमकाता है तथा इसका शक्स से आमजन इतना भयभीत है कि इसके खिलाफ गवाही देने से कतराता है, रिपोर्ट करने के लिए कोई भी सामने नहीं आता है। उक्त शक्स गैर सायल राजस्थान गुण्डा

नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 के खण्ड (iii) में परिभाषित श्रेणी में आता है। इसके विरुद्ध निम्न मुकदमे दर्ज होकर निस्तारित हुए हैं—

क्र. सं.	मु. न. व दिनांक	धारा	पुलिस थाना	चालान नं. व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1	390/09.10.14	341,323/34 IPC	बाड़मेर कोतवाली	238/30.10.14	सजा/03.11.14
2	522/12.12.15	13 RPGO Act	बाड़मेर कोतवाली	314/23.12.15	सजा/28.04.16
3	38/27.01.16	13 RPGO Act	बाड़मेर कोतवाली	15./31.01.16	सजा/28.04.16

उक्त अपराधिक प्रकरणों के आधार पर गैर सायल को बाड़मेर जिले से बाहर निष्कासन किये जाने का निवेदन किया।

2. हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर, गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत नोटिस जारी किया। गैर सायल की ओर अधिवक्ता द्वारा जवाब में जाहिर किया कि गैर सायल किसी भी गिरोह का सदस्य नहीं है तथा न ही किसी गिरोह के मुखिया के रूप में अपराध करने का अभ्यस्त हैं। गैर सायल ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिससे आम जन गैर सायल के अपराध की वजह से डरी व सहमी हुई है। सायल की ओर से गैर सायल के विरुद्ध एकदम झूठा व नाहक परेशान करने की नीयत से यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत परिवाद में 3 प्रकरणों का विवरण दिया गया जिसमें से मात्र 2 RPGO के तथा एक प्रकरण धारा 323, 341 भादंसं के तहत है। न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरणों में परीवीक्षा अधिनियम के तहत परीवीक्षा का लाभ देकर रिहा किया गया है न कि इनमें गैर सायल को कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। गैर सायल 25 वर्ष का नौजवान व्यक्ति है जो अपने परिवार व वृद्ध माता-पिता का भरण-पोषण करता है जिस पर परिवार की सम्पूर्ण जिम्मेवारी है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत गैर सायल के विरुद्ध दर्ज प्रकरण इस अधिनियम की परिभाषा में नहीं आते हैं। यदि किसी मुलजिम ने 6 माह की अवधि में तीन या तीन से अधिक प्रकरण कारावास या मृत्यु दण्ड जैसे अपराध कारित किए जाते हैं तो उसके विरुद्ध इस्तगासा पेश किया जा सकता है। गैर सायल के विरुद्ध पिछले 6 माह में इस तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इस प्रकार गैर सायल की कोई भी गतिविधि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2(ख) की उप-धारा 7 व 8 के अन्तर्गत नहीं आती हैं। अतः गैर सायल के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही निरस्त फरमाई जाए।




3. गैर सायल द्वारा नोटिस को अस्वीकार करने पर हमने दोनों पक्षों को अपनी अपनी शहादत पेश करने के आदेश दिये। सायल की ओर से परिवाद के समर्थन में श्री बुद्धाराम बिश्नोई तत्कालीन थानाधिकारी द्वारा साक्ष्य गवाह के रूप में बयान दर्ज करवाकर इस्तगासा के तथ्यों की ताईद की गई। सायल से गैर सायल की वर्तमान गतिविधियों एवं चाल-चलन की रिपोर्ट ली गई जिसमें गैर सायल के विरुद्ध उपर्युक्त उल्लेखित प्रकरणों के अलावा कोई प्रकरण दर्ज रजिस्टर होना नहीं बताया एवं आपराधिक गतिविधि शांत पाई गई है।
4. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी एवं न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। विद्वान अभियोजन अधिकारी बाड़मेर का यह तर्क है कि गैर सायल आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना पाया गया है, इसके विरुद्ध भादंस एवं RPGO के अपराध दर्ज हुए हैं जिसमें न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित किया जाकर परिवीक्षा का लाभ देकर रिहा किया गया है। अभियोजन अधिकारी के तर्कों का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता गैर सायल का तर्क है कि पुलिस इस्तगासा में गैर सायल के विरुद्ध उल्लेखित प्रकरणों में लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति पर मामूली जुर्माना आरोपित किया गया है, इसके अलावा कोई प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य अधिनियम के तहत बाड़मेर या इसके बाहर किसी भी थाना में दर्ज नहीं हुआ है और न ही गैर सायल को दोषी ठहराया गया है। इसलिये गैर सायल के विरुद्ध कार्यवाही निरस्त की जाए। सायल पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2022 दिनांक 31.03.2021 द्वारा गैर सायल की वर्तमान गतिविधियों एवं अन्य प्रकरणों बाबत प्रस्तुत रिपोर्ट में गैर सायल की आपराधिक गतिविधियाँ शांत होना बताया है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि गैर सायल के विरुद्ध 13 RPGO का आरोप है राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख) के खण्ड (v) के अनुसार राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के अधीन कम से कम दो बार सिद्धदोष ठहराया गया हों तो ही उक्त अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान है। यद्यपि गैर सायल के विरुद्ध 2 प्रकरण वर्ष 2015 एवं 2016 में दर्ज हुए हैं तथा उक्त प्रकरणों में गैर सायल को लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति पर सिद्धदोष घोषित किया गया है तथा परिवीक्षा अधिनियम के तहत परिवीक्षा का लाभ देकर रिहा किया गया है। इसके पश्चात गैर सायल ने कोई अपराध किसी अधिनियम के अधीन कारित नहीं किया है तथा उसकी वर्तमान गतिविधियाँ शांत होना पाया गया है। गैर सायल के विरुद्ध 5 वर्ष पूर्व उसके आपराधिक कृत्यों के लिए निष्कासित किए जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित



प्रतीत नहीं होता है जबकि उसने अपने आचरण में सुधार कर वर्तमान में शांति से जीवन-यापन कर रहा है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं सायल की ओर से प्रस्तुत वर्तमान गतिविधियों की रिपोर्ट के आधार पर गैर सायल के विरुद्ध आरोपित, आरोप अधिनियम धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (v) के अधीन गैर सायल को जिले से बाहर निष्कासित किये जाने का कोई न्यायोचित आधार प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः गैरसायल के विरुद्ध जारी नोटिस धारा 3(1) खारिज किया जाता है।

5. निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(ओमप्रकाश बिशनोई)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
बाड़मेर

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.) बाड़मेर